

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर जिला भरतपुर

अंगूरी बनाम रूपसिंह बगै०

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नं०56 / 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.08.19	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अन्तर्गत ग्राम सैंधली तहसील भुसावर आ०ख०नं० 194 रकवा 0.5300 है०, पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी को सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी ग्राम सैंधली तहसील भुसावर आ०ख०नं० 194 रकवा 0.5300 है०, पर उभयपक्ष मौके पर कब्जा की स्थिति मूलवाद के निर्णय तक यथावत बनाये रखें।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूलवाद में संलग्न हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 02.08.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	

(के.सी. मीना RAS)

उपखण्ड अधिकारी

भुसावर